राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2864/2024

हरीश कुमार अग्रवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
4. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवासन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. श्री भागीरथ सोनी, निदेशक वित्त अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.09.2024

आदेश की दिनांक : 30.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री के.के.शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधीक्षक अभियंता, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को फरवरी, 2024 से अगस्त, 2024 एवं 01 जुलाई से वार्षिक वेतन

वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है और जबकि अपीलार्थी सातवें वेतन आयोग के अनुसार अधीक्षण अभियंता वेतनमान लेवल 19 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी ने दिनांक 08.07.2024 एवं 29.07.2024 उक्त मामले के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किये, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर वर्ष 2007 में हुई थी और उसे सहायक अभियंता, अधिशाषी अभियंता और तदुपरांत अधीक्षण अभियंता के पद पर डीपीसी के द्वारा पदोन्नत किया गया। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी को अधीक्षण अभियंता के पद पर अस्थायी/तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है और उसके वेतन को लेवल 19 में निर्धारित किया गया, परंतु अपीलार्थी को अधीक्षण अभियंता के पद पर दिनांक 12.07.2022 से निरंतर कार्यरत होने के बावजूद फरवरी, 2024 से जून 2024 तक का वेतन को निर्धारण अनुसार नहीं दिया गया और वेतन कम दिये जाने के क्रम में अपीलार्थी को सूचित भी नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों से नियमित पदोन्नति नहीं की गई। जबकि अपीलार्थी वरिष्ठता में सबसे वरिष्ठ है। परंतु अपीलार्थी को वार्षिक वेतन वृद्धि वास्तविक संपूर्ण लाभ प्रदान नहीं किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को वेतन निर्धारण आदेश अनुसार पूर्ण वेतन दिये जाने तथा फरवरी, 2024 से जून, 2024 तक काटे गये वेतन को वापिस दिया जावे और 01 जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी प्रदान किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अधीक्षक अभियंता, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में कार्यरत है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के

तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष